भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1583
दिनांक 12.12. 2023/ 21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

शहीद सैनिकों के परिवारों को सहायता

1583. श्री कमलेश पासवान:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सेना के कार्मिकों सहित कितने सैनिक शहीद हुए है;

(ख) शहीदों के परिवारों को सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र को आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त करने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान मुठभेड़ों में मारे गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेना और विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) सहित जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	मुठभेड़ में मारे गए सुरक्षा कार्मिकों
2018	44
2019	27
2020	33
2021	16
2022	14

(स्रोत-सीआईडी, जम्मू और कश्मीर)

(ख): केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों, सेना के कार्मिकों और जम्मू और कश्मीर पुलिस के परिवारों/निकटतम परिजनों को दिए गए स्वीकार्य लाभों का ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में दिया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1583 दिनांक 12.12.2023

(ग) और (घ): सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है । सरकार का दृष्टिकोण आतंक पारिस्थितिकी-तंत्र को ध्वस्त करना है । जम्मू और कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है । जम्मू और कश्मीर को आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त बनाने के लिए अपनाई गई रणनीतियों और की गई कार्रवाइयों में शामिल हैं:

(i) रणनीतिक स्थानों पर चौबीस घंटे नाके लगाना।

(ii) स्थायी गार्डों के रूप में सामूहिक सुरक्षा करना।

(iii) आतंकवादी संगठनों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए गहन घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ)।

(iv) जम्मू और कश्मीर में ऑपरेट कर रहे सभी सुरक्षा बलों के साथ तत्काल आसूचना संबंधी जानकारी साझा करना।

(v) क्षेत्र में दिन और रात नियंत्रण और निगरानी।

(vi) उपयुक्त तैनाती के माध्यम से सुरक्षा के प्रबंध करना।

(vii) निवारक अभियान चलाना, जिनमें आतंकवाद के रणनीतिक समर्थकों की पहचान करना और आतंकवादियों की सहायता करने और उन्हें उकसाने वाले तंत्रों का भंडाफोड़ करने के लिए जांच शुरू करना शामिल हैं।

(viii) नागरिकों पर आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अति संवेदनशील स्थानों की पहचान करना। इसके अतिरिक्त, इस मुद्दे के बारे में लोगों को जमीनी स्तर पर जानकारी प्रदान करना और आतंकवादियों अथवा उनके परामर्शदाताओं के षडयंत्र को विफल करने के उपाय करना।

******

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1583 दिनांक 12.12.2023

ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) कार्मिकों के परिवारों/निकटतम परिजनों (एनओके) को प्रदान किये जाने वाले लाभ:-

(i) केंद्रीय अनुग्रह राशि: सीएपीएफ और एआर कार्मिकों की सक्रिय ड्यूटी पर मृत्यु पर एनओके के लिए केंद्रीय अनुग्रह एकमुश्त मुआवजे को 25 लाख रुपये से 45 लाख रुपये बढ़ाया गया है।

(ii) असाधारण पेंशन: मृतक के एनओके केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली, 2023 के अंतर्गत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (अंतिम आहरित राशि) प्राप्त करने के हकदार हैं ।

(iii) सेवा लाभ: सभी सेवा लाभ अर्थात, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), अवकाश नकदीकरण, केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईआईएस), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) आदि।

(iv) बल स्तरीय कल्याण योजनाएं: निधि के मानदंडों के अनुसार संबंधित बल के जोखिम/कल्याण/परोपकारी निधि से अनुग्रह और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता।

(v) 'भारत के वीर' से निधि: 'भारत के वीर' ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे कार्मिकों के नाम अपलोड करके 15 लाख रुपये तक का सार्वजनिक योगदान । 'भारत के वीर' कॉर्पस से विवाहित मृत कार्मिकों के माता-पिता को 10 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता ।

(vi) 'ऑपरेशन कैजुअल्टी सर्टिफिकेट': कुछ लाभों जैसे कि हवाई और रेल यात्रा किराया रियायत और खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट का आवंटन के लिए एनओके को 'ऑपरेशनल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट' जारी करना ।

(vii) प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस): प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के तहत लड़कियों के लिए 3,000 रुपये और लड़कों के लिए 2,500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति।

(viii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुग्रह मुआवजे का प्रावधान: कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपने नियमों के अनुसार एनओके को मुआवजा/सहायता का भुगतान करने का प्रावधान किया है।

(ix) सीएपीएफ वेतन पैकेज योजना के तहत बीमा कवरेज और एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वार्डों के लिए कोटा।

(x) एनओके की पात्रता और योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति।

****

अनुलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1583 दिनांक 12.12.2023

सैन्य कार्मिकों के परिवारों/निकटतम परिजनों (एनओके) को प्रदान किया गया लाभ (घातक युद्ध हताहत)

I. केंद्र सरकार से एकमुश्त अनुग्रह मुआवजा:

(i) ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु - 25.00 लाख रुपये।

(ii) आतंकवादियों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण होने वाली मृत्यु- रु.25.00 लाख रुपये ।

(iii) युद्ध या सीमा पर झड़पों में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान या आतंकवादी आदि के खिलाफ कार्रवाई में होने वाली मृत्यु - रु.35.00 लाख रुपये ।

(iv) उच्च ऊंचाई, दुर्गम सीमा चौकियों आदि या प्राकृतिक आपदाओं के कारण मौसम की स्थिति में ड्यूटी पर होने वाली मृत्यु - 35.00 लाख रुपये ।

(v) अंतरराष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु या ऐसे युद्ध जिसमे विशेष रूप से भाग लेना हो - 45.00 लाख रुपये ।

(vi) सशस्त्र बलों के युद्ध हताहतों के लिए अतिरिक्त अनुग्रह, युद्ध हताहतों के कल्याण कोष से 8.00 लाख रुपये ।

II. युद्ध हताहतों के परिजनों (एनओके) के लिए हकदार अन्य मौद्रिक लाभों का विवरण:

(i) युद्ध मे हताहत होने पर लागू उदारीकृत पारिवारिक पेंशन जो मृत व्यक्ति द्वारा अंतिम आहरित राशि के बराबर है।

(ii) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी जो प्रदान की गई सेवा की अवधि और मृतक व्यक्ति द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त परिलब्धियों पर आधारित है - अधिकतम 20 लाख रुपये ।

(iii) सेना समूह बीमा निधि:-

क. अधिकारी –   1 करोड़ रुपये
ख. जेसीओ / अन्य रैंक - 50.00 लाख रुपये

(iv) सेना समूह बीमा परिपक्वता जो मृत सेना कार्मिकों द्वारा किए गए योगदान पर आधारित है।

(v) सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि जो मृत सेना कार्मिकों द्वारा किए गए योगदान पर आधारित है।

अनुलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1583 दिनांक 12.12.2023

(vi) सेना पत्नी कल्याण संघ निधि:-

क. अधिकारी – 30,000 रुपये
ख. जेसीओ / अन्य रैंक - 30,000 रुपये

(vii) मृत्यु लिंक बीमा योजना – 60,000 रुपये

III. अन्य लाभ:

(i) शिक्षा पात्रता कार्ड

(ii) वायु/रेल यात्रा रियायत कार्ड

(iii) टेलीफोन रियायत

(iv) एनओके की पात्रता और योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति

****

अनुलग्नक-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1583 दिनांक 12.12.2023

हिंसा / आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिकों और एसपीओ के परिजनों (एनओके) को भुगतान किए जा रहे मुआवजे का विवरण निम्नानुसार है: -

(रुपये में)

क्रम	**अनुकंपा**	**पुलिस कार्मिक**	**एसपीओ**
1	अनुग्रह राशि	38 लाख	17.50 लाख
2	अतिरिक्त अनुग्रह राशि	7 लाख	--
3	विशेष कल्याण राहत	22 लाख	6 लाख
4	ग्रुप कार्मिकों दुर्घटना बीमा पॉलिसी	25 लाख	25 लाख
5	मारे गए सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों के लिए अतिरिक्त बीमा कवर	15 लाख	6 लाख
6	मारे गए सीएपीएफ/सेना के सुरक्षा कार्मिकों को अनुग्रह राशि	मारे गए सीएपीएफ/सेना कार्मिकों को अनुग्रह राशि सुरक्षा संबंधी व्यय के तहत अनिवासी के लिए 5.00 लाख रु., जम्मू और कश्मीर के अधिवासियों के लिए 25.00 लाख रुपये (सुरक्षा संबंधी व्यय से 5.00 लाख रुपये और जम्मू और कश्मीर सरकार से 20.00 लाख रुपये)	
7	एनओके की पात्रता और योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति		

****